UPKJ010039562025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।

पीठासीन अधिकारी–हरि प्रसाद (उच्चतर न्यायिक सेवा)

दाण्डिक निगरानी संख्या–127/2025

सुनीता पत्नी श्याम सिंह,

निवासिनी–तिलकिया थाना गुरसहायगंज, जनपद कन्नौज। **.....निगरानीकर्ती**

बनाम

1. **उत्तर प्रदेश** राज्य वजरिये जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, कन्नौज
2. **मान सिंह पुत्र रामबक्स**
3. **मदनलाल पुत्र रामबक्स**
4. **अजय पुत्र मान सिंह**
5. **विजय पुत्र मदनलाल**

निवासीगणः– तिलकिया थाना गुरसहायगंज, जनपद कन्नौज।

.....विपक्षीगण।

निर्णय

1. **संदर्भित दाण्डिक निगरानी**, निगरानीकर्ती/परिवादिनी ने परिवाद संख्या–119/2021 सुनीता बनाम मान सिंह आदि थाना गुरसहायगंज, जनपद कन्नौज के मामले में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.07.2025 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

2. प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इसप्रकार हैं कि विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.07.2025 विधि विरूद्ध है। प्रार्थिनी ने माननीय न्यायालय में एक परिवाद सं०–119/2021 प्रस्तुत किया था। प्रार्थिनी की

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.03.25 14:57:12 IST
Reason: judgment
Location: A.D.J, court N0. 1 Kannauj.

रिपोर्ट एन सी आर नं0 245/20 अन्तर्गत धारा–323,504 आई पी सी में दर्ज की गई थी। उसके बाद धारा 308 आई पी सी की बढ़ोत्तरी हेतु प्रार्थनापत्र दिया था। प्रार्थिनी के शरीर पर इन्जरी पायी गई थी, परन्तु विवेचना थाना पुलिस द्वारा की गई अन्यथा नहीं की गई, आज तक पता नहीं चला सका था। काफी प्रयास प्रार्थिनी द्वारा मुकदमा चलाने का किया गया था परन्तु समाधान न होने पर प्रार्थिनी ने मान्य न्यायालय में पूर्व में धारा 308 आई पी सी की बढ़ोत्तरी हेतु भी किमिनल रिवीजन किया था तब मान्य न्यायालय द्वारा कुछ प्रपत्र न लगे होने के कारण निरस्त कर दिया था। प्रार्थिनी ने परिवाद में पैरवी की परन्तु प्रार्थिनी गरीब महिला है और बीमारी पीलिया से ग्रसित हो गई और वह कमजोर हो गई। गरीबी के कारण नियत दिनांक पर माननीय न्यायालय नहीं आ सकी जिससे न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट कन्नौज ने परिवादी खारिज कर दिया है। प्रार्थिनी द्वरा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। अतः दाण्डिक निगरानी स्वीकार करते हुये विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.07.2025 निरस्त करने की कृपा करें।

3. विपक्षीगण की ओर से मौखिक आपत्ति की गयी कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। अतः दाण्डिक निगरानी निरस्त करने की कृपा की जाये।

4. मैंने निगरानीकर्ती, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तथा विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि निगरानीकर्ती/परिवादिनी ने विपक्षीगण संख्या–2 लगायत 5 के विरूद्ध परिवाद योजित किया था जिसे विद्वान

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा दिनांक 07.07.2025 को यह आदेश पारित करते हुये खारिज कर दिया गया है कि परिवादिनी द्वारा अभियुक्तगण के तलबी हेतु आवश्यक कार्यवाही न किये जाने के कारण एवं परिवादिनी की अनुपस्थिति के कारण कई तिथियों से पैरवी नहीं कर रही है। अतः उक्त आलोच्य आदेश दिनांकित 07.07.2025 से क्षुब्ध होकर यह दाण्डिक निगरानी परिवादिनी द्वारा योजित की गयी है।

6. इस सम्बन्ध में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश के परिशीलन से यह विदित होता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ती/परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवादपत्र में किये गये अभिकथनों के आधार पर दिनांक 01.03.2023 को अपराध अन्तर्गत धारा–323,504,506,325 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में तलब किया गया है। तलब करने के उपरान्त परिवादिनी को साक्षीगण की सूची व विपक्षीगण को तलब किये जाने हेतु सम्मन जारी किये जाने के बाबत पैरवी जारी करने हेतु आदेशित किया गया तथा पत्रावली हाजिरी अभियुक्तगण दिनांक 06.04.2023 नियत की गयी।

7. वाद पत्रावली दिनांक 06.04.2023 एवं कई तिथियों तक परिवादिनी की उपस्थिति एवं विपक्षीगणों को तलबी किये जाने बावत पैरवी किये जाने हेतु आदेशित किया गया, परन्तु परिवादिनी न्यायालय उपस्थित नहीं हुयी। न्यायालय द्वारा कई अवसर प्रदान किया गया, परन्तु परिवादिनी के काफी समय तक अनुपस्थिति होने के उपरांत दिनांक 07.07.2025 को उक्त आलोच्य आदेश पारित करते हुये

परिवादिनी/निगरानीकर्ती का परिवाद अन्तर्गत धारा 204(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के तहत खारिज किया गया।

8. पत्रावली के परिशीलन से यह विदित होता है कि परिवादिनी/निगरानीकर्ती द्वारा प्रश्नगत दाण्डिक निगरानी में निगरानी का यह भी आधार लिया गया है कि प्रार्थिनी की एन सी आर नं0 245/20 अन्तर्गत धारा–323,504 आई पी सी में दर्ज की गई थी। उसके बाद धारा 308 आई पी सी की बढ़ोत्तरी हेतु प्रार्थनापत्र दिया था। प्रार्थिनी के शरीर पर इन्जरी पायी गई थी, परन्तु विवेचना थाना पुलिस द्वारा की गई अन्यथा नहीं की गई, आज तक पता नहीं चला सका था। काफी प्रयास प्रार्थिनी द्वारा मुकदमा चलाने का किया गया था परन्तु समाधान न होने पर प्रार्थिनी ने मान्य न्यायालय में पूर्व में धारा 308 आई पी सी की बढ़ोत्तरी हेतु भी किमिनल रिवीजन किया था तब मान्य न्यायालय द्वारा कुछ प्रपत्र न लगे होने के कारण निरस्त कर दिया था जिसके बावत श्रीमान सत्र न्यायाधीश कन्नौज द्वारा दाण्डिक निगरानी संख्या–18/2025 सुनीता बनाम मानसिंह आदि में पारित आदेश दिनांकित 11.02.2025 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है।

9 मेरे द्वारा उक्त् आदेश का भी अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी/निगरानीकर्ती द्वारा परिवाद संख्या–119/2021 में पारित आदेश दिनांकित 01.03.2023 के विरूद्ध उक्त दाण्डिक निगरानी संख्या–18/2025 योजित की गयी जिसके माध्यम से विपक्षीगणों को धारा 308, 452 भारतीय दण्ड संहिता में तलब किये जाने हेतु निवेदन किया गया, किन्तु श्रीमान निगरानी न्यायालय द्वारा परिवादिनी/निगरानीकर्ती द्वारा उक्त निगरानी में पर्याप्त बल

न होने के कारण निगरानी निरस्त की गयी।

10. परिवादिनी/निगरानीकर्ती द्वारा उक्त निगरानी का यह भी आधार लिया गया कि प्रार्थिनी गरीब महिला है और पीलिया की बीमारी से ग्रस्ति हो गयी जिसके कारण वह न्यायालय उपस्थित नहीं हो सकी। यह अवश्य है कि दिनांक 01.03.2023 से दिनांक 07.07.2025 तक परिवादिनी/निगरानीकर्ती तक न्यायालय उपस्थित आयी, न ही विपक्षीगण को तलब किये जाने के बावत यथोचित पैरवी की गयी। परिवादिनी/निगरानीकर्ती द्वारा प्रश्नगत निगरानी को स्वीकार किये जाने के बावत प्रस्तुत किया गया उक्त आधार विश्वसनीय प्रतीत होता है। विपक्षीगण की ओर से उक्त बिन्दु पर कोई ठोस आपत्ति नहीं की गयी। विपक्षीगण उक्त परिवाद में उपस्थित नहीं हुये। परिवादिनी/निगरानीकर्ती द्वारा उक्त दाण्डिक निगरानी के माध्यम से विपक्षीगणों के विरूद्ध कार्यवाही करना चाहती है। इसप्रकार परिवादिनी/निगरानीकर्ती द्वारा संदर्भित दाण्डिक निगरानी में उठाये गये तर्क में पर्याप्त बल होने के कारण उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता है। तद्नुसार परिवादिनी/निगरानीकर्ती द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी/निगरानीकर्ती द्वारा प्रस्तुत संदर्भित **दाण्डिक निगरानी संख्या–127/2025 सुनीता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य स्वीकार** की जाती है। तदनुसार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.07.2025 **निरस्त** किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि निर्णय में उल्लेखित

बिन्दुओं व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर गहनतापूर्वक विचार करने के उपरान्त उक्त परिवाद को पुनर्स्थापित करे।

उभय पक्ष **दिनांक 17.04.2026** को विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दिनांक–17.03.2026 (हरि प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश,

कक्ष संख्या–1 जनपद–कन्नौज।

(J.O.Code No–UP6489)

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनाँकित एवं उदघोषित किया गया।

दिनांक–17.03.2026 (हरि प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश,

कक्ष संख्या–1 जनपद–कन्नौज।

(J.O.Code No–UP6489)

दिनांक 17.03.2026

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। आदेश हुआ कि:–

परिवादिनी/निगरानीकर्ती **द्वारा प्रस्तुत संदर्भित दाण्डिक निगरानी संख्या–127/2025 सुनीता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य स्वीकार की जाती है। तदनुसार अपर** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.07.2025 **निरस्त किया जाता है।**

विद्वान अवर न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि निर्णय में उल्लेखित बिन्दुओं व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर गहनतापूर्वक विचार करने के उपरान्त उक्त परिवाद को पुनर्स्थापित करे।

उभय पक्ष **दिनांक 17.04.2026** को विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1 जनपद–कन्नौज।